

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. योजना का नाम— **अक्षमता पेंशन योजना**
2. सम्बन्धित विभाग का नाम— श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष— 0131-2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि— 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि—
8. योजना का प्रकार—केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य— राज्य
9. **योजना का संक्षिप्त विवरण—** पंजीकृत निर्माण कामगार की दुर्घटना अथवा बीमारी (लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, कैंसर) के कारण पूर्ण एवं स्थाई रूप से 50 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षम होने की तिथि से प्रतिमाह एक हजार रू0 बतौर पेंशन लाभार्थी को उसके जीवन काल तक देय होगा।
10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता— 1— इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र न हो। 2— इस योजना के अन्तर्गत लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के स्वयं उपरोक्तानुसार अक्षम होने की स्थिति में ही देय होगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि बोर्ड द्वारा चलायी जा रही किसी अन्य पेंशन योजना की स्थिति में ऐसा लाभार्थी श्रमिक केवल उसी योजना के अन्तर्गत पेंशन पाने का अधिकारी होगा जिसकी पेंशन धनराशि अधिक हो। 3— सहायता प्राप्त करने हेतु पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम घोषित हो जाने की स्थिति से 03 माह भीतर श्रम कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर फोटोयुक्त आवेदन पत्र 02 प्रतियों में प्रेषित किया जायेगा। 4— आवेदन पत्र के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी/मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है—**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीमान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0**
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क— निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस— प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम— सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर—0131-2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल— 0131-2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस— www.uplabour.nic.in

(वन्दना)

सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. योजना का नाम— **सौर ऊर्जा सहायता योजना**
2. सम्बन्धित विभाग का नाम— श्रम विभाग, उ०प्र०
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष— 0131-2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि— 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि—
8. योजना का प्रकार—केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य— राज्य
9. **योजना का संक्षिप्त विवरण—** सोलर लाईट के मूल्य के सापेक्ष 10 प्रतिशत अंशदान पंजीकृत निर्माण श्रमिक से जमा कराया जायेगा। वास्तविक मूल्य बोर्ड द्वारा टेण्डर प्रक्रिया के उपरान्त सूचित किया जायेगा।
10. **योजना के लिये निर्धारित अर्हता—** 1—इस योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिक का नियमित अंशदान जमा होना आवश्यक है। 2— लाभार्थी श्रमिक के परिवार में यदि एक से अधिक पंजीकृत व्यक्ति है, तो योजना का लाभ किसी एक व्यक्ति को मिल सकेगा।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है—**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीममान्त किसान/बी०पी०एल०/ए०पी०एल०**
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क— निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस— प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम— सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर—0131-2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल— 0131-2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस— www.uplabour.nic.in

(वन्दना)

सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।